अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो0सू0अ0 एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

11–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. आपके पत्रांक एफ 37 ( )( )निर्वा/2017/912 दिनांक 12.05.2017 से सम्बन्धित सूचना प्रार्थी का प्रार्थना पत्रांक 7003 दिनांक 27.04.2017 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर आर नम्बर की सूचना
2. पत्र प्राप्ति से दिनांक 12.05.2017 तक जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी ने जो जो कार्य किया उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. प्रार्थी के पत्रांक 7005 दिनांक 28.07.2017 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर आर नम्बर की सूचना
4. पत्र प्राप्ति से दिनांक 12.05.2017 तक उक्त पत्र पर जो जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी का पत्रांक 7015 दिनांक 08.05.2017 व 7016 दिनांक 08.05.2017 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख आर आर नम्बर की सूचना।
6. पत्र प्राप्ति से दिनांक 12.05.2017 तक जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी ने जो जो कार्यवाही की उसका नाम व पद की सूचना।
7. प्रार्थी के सहज दृश्य मकान पर 2 नोटिस चिपकाने वाले कर्मकारों का नाम व पद की सूचना व नोटिसि की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. प्रार्थी के मकान पर नोटिस चिपकाने का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति जो नोटिस मकान पर चस्पा करवाने बाबत दिया है।
9. नोटिस चस्पा करवाने के पश्चात नोटिस को चस्पा करने वाले कर्मकार द्वारा दी गयी सूचना व उसकी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. आदेश 5 नियम 17 सी पी सी के प्रावधानो के अन्तर्गत सम्मन तामील सम्बन्धी जो प्रावधान है उसकी लिखित में सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि,
11. नोटिस की तामील करवाने हेतु मकान पर चिपकाने वाले कर्मकार जिस मत्रांलिक कर्मकार के अधिनस्थ कार्यरत है। उस का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2017 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने प्रतिवेदन सं0 3906 दिनांक 07.09.17 के साथ अपीलार्थी को दिये गये उत्तर संख्या 1741 दिनांक 16.06.17 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1, 3 व 5 का प्रत्युतर निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आपका पत्रांक 7003 दिनांक 27.04.2017 इस कार्यालय की पत्र प्राप्ति पंजिका में कमांक 03(1293) दिनांक 27.04.2017 पर दर्ज है।
2. बिन्दु संख्या 3 में वर्णित आपका पत्रांक 7005 दिनांक 28.04.2017 इस कार्यालय की पत्र प्राप्ति पंजिका में कमांक 04 दिनांक 28.04.2017 पर दर्ज है।
3. बिन्दु संख्या 5 में वर्णित आपका पत्रांक 7015 दिनांक 08.05.2017 इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है तथा पत्रांक 7016 दिनांक 08.05.2017 इस कार्यालय की पत्र प्राप्ति पंजिका में कमांक 06 दिनांक 09.05.2017 पर दर्ज है।

बिन्दू संख्या 2, 4, 6 से 10 एवं 13 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है किः–

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हित कर दस्तावेज के प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

इसके अतिरिक्त आपके प्रासंगिक प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 10 के पश्चात बिन्दु सं0 13 अंकित है जबकि बिन्दु संख्या 11 एवं 12 अंकित नही है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार बिन्दु सं0 1, 3, 5 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। शेष बिन्दुओं की चाही गई सूचनांए कोई निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 16.06.117 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर